

पञ्जाब में पूर्व संसद
अधिकार क्षेत्र के अधिकार क्षेत्रों

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक एफ 3(8)(40)स्था/भूजवि/16/13⁰

दिनांक:- 2.9.16

अधिकांशी अभियन्ता,

भू जल विभाग,

जोधपुर/बाडमेर/पाली/जयपुर/अलवर/बीकानेर/

कोटा/उदयपुर/डूंगरपुर/केन्द्रिय भण्डार, जोधपुर।

विषय:- तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत भण्डारपाल को बदलने
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार एवं मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद यह ध्यान में आया है कि कई कर्मचारी भण्डारपाल के पद पर तीन वर्ष से भी अधिक अवधि से कार्यरत हैं। स्पष्ट रूप से निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि तीन वर्ष की अवधि से ज्यादा से कार्यरत भण्डारपालों को बदल कर अनुपालना मुख्यालय को तीन दिनों में प्रेषित करें। किसी प्रकार के विलम्ब के लिये वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तदायी होंगे एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग, जोधपुर